न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

वादीगण :–

1 कमलाकंवर पुत्री कल्याणसिंह
2 विमलाकंवर पुत्री कल्याणसिह
3 संतोषकवर पुत्री कल्याणसिंह
जाति राजपूत सा. थावला व रामपुरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. प्रसन्नकंवर पुत्री कल्याणसिंह
2. मालसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. रामसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. गीताकंवर पत्नी कानसिंह
5. रघुवीरसिंह पुत्र कानसिंह
6. दिलीपसिंह पुत्र कानसिंह
7. रिसालसिंह पुत्र कानसिह
8. किरणकंवर पुत्री कानसिंह
9. प्रेमकंवर पुत्री कानसिह
10. इन्द्राकंवर पुत्री कानसिंह
प्रतिवादी 9 व 10 ना.बा. जरिये संरक्षक माता प्रतिवादी संख्या 4 गीताकंवर जाति राजपूत निवासी रघुनाथपुरा
11. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक परबतसर
12. तहसीलदार परबतसर
13. नायब तहसीलदार पीलवा

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती व बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित :– श्री तिलोकनाथ अधिवक्ता वादीगण
श्री ऋषि बोहरा अधिवक्ता प्रतिवादी 3 से 7

मुकदमां नम्बर :– 21/2010 निर्णय दिनांक :– 05.02.2020

निर्णय

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री तिलोक नाथ ने यह वाद पेश कर निवेदन किया हैं कि वादीगण 1 से 3 व प्रतिवादी 1 से 10 एक ही परिवार के सदस्य हैं वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि मौजा रघुनाथपुरा के खसरा नम्बर 256 रकबा 23–05 बीघा, 256/1 रकबा 0–06 बिस्वा गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 256/3 रकबा 11–00 बीघा, 256/4 रकबा 1–10 बीघा, 256/5 रकबा 11–17 बीघा, 257 रकबा 14–05 बीघा कुल रकबा 62–03 बीघा भूमि स्थित है। वादीगण ने दिनांक 03.03.2010 को नकल प्राप्त की तो वादीगण व प्रतिवादी 1 का नाम अंकित नही हैं तो वादीगण ने प्रतिवादी 2 से 10 से कहा कि हमारे माता पिता की पैतृक भूमि में हमारा नाम अंकित करवाया जावे तो प्रतिवादीगण ने आश्वास दिया। प्रतिवादी 4 से 10 ने हम वादीगण को अपने हक से वंचित करने के लिये दिनांक 13.04.2010 को चुपचाप 1/3 हिस्सा का बैचान करवाने हेतु उप तहसील पीलवा चले गये वादीगण ने मौके पर जाकर मना किया लेकिन प्रतिवादीगण ने कहां की जमीन हमारे नाम दर्ज हैं हम खातेदारी के आधार 1/3 हिस्से का बैचान करेंगे तो

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादीगण ने कहा की 1/7 हिस्सा हम वादीगण प्रत्येक का आता हैं जिसके बावजूद प्रतिवादीगण 4 से 10 नहीं माने एवं बैचान करने पर आमादा रहने पर बमुकाम रघुनाथपुरा पेदा हुआ है। वादीगण के माता पिता कल्याणसिंह व जानकंवर की भूमि वादीगण 1 से 3 प्रत्येक का उतराधिकार के अनुसार 1/7, 1/7 प्रतिवादी 1 का 1/7 हिस्सा आता हैं जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादी 1 के हिस्से में 34–04 बीघा भूमि के हकदार है। राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम अकित नही होने से प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से की भूमि बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू हैं वादीगण के हक हिस्से की भूमि को जरिये नामान्तकरण 626 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर प्रतिवादीगण ने अपने नाम भरवा लिया जो गलत होने से निरसत किये जाने योग्य है। वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में अकित आराजियात में वादीगण प्रत्येक का 1/7, 1/7 तथा प्रतिवादी 1 का 1/7, हिस्सा, प्रतिवादी 1 का 1/7 हिस्सा प्रतिवादी 3 का 1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी 4 से 10 का 1/7 हिस्सा घोषित किया जाकर घोषित हक हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाकर अलग होल्डिंग कायम की जावें प्रतिवादी 2 से 10 को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा स पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।दिनांक 24.05.2010 को प्रतिवादी 3 से 10 की ओर से वकील श्री मूलचन्द सौलकी ने वकालतनामा पेश कर जबाब पेश करने हेतु समय चाहा एवं प्रतिवादी 2, 11, 13, 14 के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी 2 ने आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 05.10.2010 को स्वीकार किया जाकर जवाब हेतु समय दिया गया। प्रतिवादी 3 से 10 ने जबाब पेश कर निवेदन किया हैं कि सम्वत 2017 से 2019 तक सम्पूर्ण खाता श्रीमती फूमकंवर पत्नी भैरूसिंह राजपूत निवासी रूघनाथपुरा के नाम दर्ज थी फूमकंवर बेवा थी उसके कोई संतान नही थी इस लिए परिवाद में नजदीक होने से कल्याणसिंह पुत्र जोधसिंह को गोद ले लिया था तभी फूमकंवर की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण आराजीयत कल्याणसिह को प्राप्त हुई उक्त भूमि कल्याणसिह की थी व कानसिंह, मालसिंह, रामासिंह की पैतृक नहीं है उक्त भूमि को पैतृक बताया जाना गलत हैं भूमि कल्याणसिह की स्वअर्जित भूमि हैं माफिक बंटवारा लिखित दिनांक 04.06.1995 के चला आ रहा हैं सभी खातेदारो ने अलग अलग बाड़ खन्दक लागा रही हैं कल्याणसिंह की चारो पुत्रियो की उम्र 40 से 50 के मध्य हैं जो चारो अपने ससुराल में बाल बच्चों के साथ निवास कर रही है जिससे वादीगण का वाद खारिज योग्य है। प्रतिवादी 3 ने जवाब दावा पेश की वादीगण के वाद को सही होना स्वीकार किया है। तत्पश्चात वाद में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

1– आया वादीगण विवादित सम्पूर्ण आराजीयत वादीगण प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की हैं जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/7 हिस्सा की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी हैं। जिम्मे वादीगण

2– आया प्रतिवादी 3 से 10 विवादित आराजीयत में कानसिंह, मालसिह, रामसिंह की पैतृक नहीं हैं कल्याणसिह की स्व अर्जित भूमि होने से वादीगण का वाद काबिल खारिज है। जिम्मे प्रतिवादी 3 से 10

3. वादीगण ने वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2061–64 प्रदर्श– 1 , खसरा गिरदावरी सम्वत 2065 प्रदर्श– 2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 3, नामान्तकरण संख्या 626 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 4 मौखिक साक्ष्य में वादी स्वंय के बयान, गवाह रामचन्द्र पुत्र सुखदेव जाति जाट उम्र 60 वर्ष, सुगनाराम पुत्र गोधराम जाट उम्र 79 वर्ष के बयान करवाये हैं। प्रतिवादीगण ने अपने जबाव दावे के समर्थन में बंटवारा लिखित प्रदर्श– 1 पेश की हैं एंव गवाह में मौखिक साक्ष्य में भारमल पुत्र गोधराम जाट छोटूराम पुत्र चन्द्राराम जाट एवं प्रतिवादी रघुवीरसिह स्वंय के बयान करवाये गये है।

4. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस पर मनन किया गया। तत्पश्चात वाद का तनकीवार निर्णय इस प्रकार से हैं कि :–

तनकी संख्या – 1

आया वादीगण विवादित सम्पूर्ण आराजीयत वादीगण प्रतिवादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की हैं जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/7 हिस्सा की खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारी हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया हैं कि वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजीयत पैतृक भूमि हैं तथा वादीगण खातेदारी कल्याणसिंह की पुत्रियां हैं। कल्याणसिंह व जानकंवर जोजे कल्याणसिंह की भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/7 हिस्सा पैतृक निहित हैं जिसकी खातेदारी वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2061–64 पेश की हैं जिसके अनुसार ग्राम रूघनाथपुरा के खसरा नम्बर 256, 256/1, 256/3, 256/4, 257, 256/5 कुल रकबा 62–03 बीघा भूमि कानसिह, मालसिंह, रामसिंह पि. कल्याणसिंह, कानसिह, मालसिंह पि. कल्याणसिंह, कानसिह मालसिंह पि. कल्याणसिंह सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमे कानसिह पुत्र कल्याणसिंह फौत होने पर सम्पूर्ण हिस्सा पर गिताकंवर पत्नी कानसिंह, रघुवीरसिंह, दिलियसिंह, रिश्पालसिंह पि. कानसिंह, किरण कंवर, प्रेमकंवर, इन्द्रकंवर पि. कानसिह के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श – 4 नामान्तकरण संख्या 626 की प्रति पेश की हैं जिसमें कल्याणसिंह पुत्र जोधसिह, कानसिह, मालसिंह पि. कल्याणसिह, जानकंवर जोजे कल्याणसिंह राजपूत सा. देह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड थी जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

कल्याणसिंह व जानकंवर मौत होने पर उसके वारिसान कानसिंह, मालसिंह, रामसिंह पि. कल्याणसिंह एवं कानसिंह मालसिंह पि. कल्याणसिंह, कानसिंह मालसिंह रामसिंह पि. कल्याणसिंह के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड की गई है। उक्त भूमि पैतृक सम्पति हो इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। वादीनी कमल कंवर ने अपने बयान पी.डब्लू – 1 में बताया है कि मैं ससुराल निवास करती हूँ, जो दावा पेश किया हैं उसके खसरा नम्बर नही जानती हूँ। विवादित भूमि का खाता पहले किसके नाम था मैं नहीं जानती हूँ। कल्याणसिंह जोधसिंह के गोद गये थ। कल्याणसिंह के पिता का नाम मैं नही जानती हूँ। कानसिंह, मालसिंह की जमीन पैतृक नहीं हैं बल्की कल्यासिंह की स्वंय की खरीद सुदा भूमि है। वादीनी स्वय ने स्वीकार किया हैं कि उक्त भूमि पर कभी मेरा कब्जा काश्त नहीं रहा, वादीनी भूमि को जानती तक नहीं हैं तथा अपने विवाह के बाद से अपने ससुराल निवास करना स्वीकार किया है, वादीगण की ओर प्रस्तुत गवाह रामचन्द्र पुत्र सुखदेव जाट ने अपने बयानों बताया हैं कि वादीगण अपने ससुराल निवास करती हैं, फुमंकवर को मैं नही जानता, कल्याणसिह के पिता का नाम नहीं जानता हूँ, एक अन्य वादी के गवाह ने भी वादीगण को अपने ससुराल निवास करना बताया हैं तथा कल्याणसिह गोद गया हुआ हैं अथवा नहीं की जानकारी नहीं होना बताया हैं कल्याणसिंह के पिता के नाम की भी जानकारी होने से इन्कार किया है। किसी भी गवाह ने उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होने स्वीकार नहीं किया है। उक्त भूमि में कल्याणसिंह पुत्र जोधसिह जानकंवर पत्नी कल्याणसिह के नाम के साथ पूर्व से ही कानसिह, मालसिंह पि. कल्याणसिंह का नाम दर्ज रिकार्ड हैं जिससे विवादित सम्पूर्ण भूमि वादीगण की पैतृक भूमि नहीं होकर खरीद सुदा भूमि हैं वादीनी कमलकंवर ने अपने बयानों में भी स्वीकार किया हैं कि उक्त भूमि को कल्याणसिंह की खरीद सुदा भूमि होना बताया हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं साक्ष्य से उक्त विवादित सम्पूर्ण आराजीयत पैतृक भूमि होना साबित नहीं होता हैं। जिससे इस सम्पूर्ण भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/7 हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक होना साबित नहीं होता है। जिससे तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या – 2

आया प्रतिवादी 3 से 10 विवादित आराजीयत में कानसिंह, मालसिह, रामसिह की पैतृक नही हैं कल्याणसिह की स्व अर्जित भूमि होने से वादीगण का वाद काबिल खारिज है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी 3 से 10 पर था। इस सम्बन्ध प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने जाहिर किया हैं कि उक्त विवादित कुल आराजीयत 62–03 बीघा भूमि सम्पूर्ण फूमकंवर पत्नी भैरूसिंह राजपूत निवासी रूघनाथपुरा के नाम से दर्ज थी। फूमकंवर वेवा थी जिसके कोई ओलाद नहीं थी इस कारण परिवार में नजदीक होने

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

से कल्याणसिंह पुत्र जोधसिंह को गोद ले लिया था उसके बाद फूमकंवर का स्वर्गवास होने पर भूमि कल्याणसिंह को प्राप्त हुई है भूमि कानसिंह मालसिंह रामसिंह की पैतृक भूमि नही है भूमि कल्याणसिंह की स्वअर्जित भूमि है भूमि को पैतृक बताया जाना गलत है। वादीगण के अधिवक्ता ने बताया है कि उक्त भूमि कल्याणसिंह व जानकंवर पत्नी कल्याणसिंह की खातेदारी सुदा भूमि थी वादीगण कल्याणसिंह की जाईन्दा पुत्रियां हैं जिससे उनका इस भूमि मे पैतृक हिस्सा उनके जन्म के दिन से ही निहित हैं, जिससे कल्याणसिंह पुत्रों के साथ वादीगण पुत्रियां भी बराबर की हिस्सेदार हैं। लेकिन नामान्तकरण संख्या 626 का अवलोकन किया गया कल्याणसिंह के फौतगी नामान्तकरण से पूर्व ही उक्त विवादित भूमि कल्याणसिंह पुत्र जोधसिंह, कानसिंह, मालसिंह पि. कल्याणसिंह, जानकंवर जोजे कल्याणसिंह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। उक्त सम्पूर्ण भूमि कल्याणसिंह की थी तो इसमें कल्याणसिंह के फौतगी नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व से कानसिंह, मालसिंह पि. कल्याणसिंह एवं जनकंवर जोजे कल्याणसिंह की खातेदारी किस प्रकार से दर्ज हुई इस सम्बन्ध मे वादीगण ने अपने वाद में कुछ नहीं बताया हैं न ही सम्वत 2061 से पूर्व का वादीगण ने कोई रिकार्ड पेश किया हैं जिससे उक्त भूमि कल्याणसिंह व कानसिंह, मालसिंह एवं जानकंवर को पैतृक हक हिस्से के आधार पर खातेदारी प्राप्त होना साबित होता हो वादीनी कमलकंवर स्वंय ने अपने बयानों में स्वीकार किया हैं कि उक्त आराजीयत कल्याणसिंह की खरीद सुदा भूमि हैं, नामान्तकरण 626 के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि उक्त भूमि पैतृक नहीं होकर खरीद सदुा भूमि हैं क्योंकि कल्याणसिह के फौत होने के पूर्व से ही कानसिह, मालसिंह पुत्र कल्याणसिंह एवं जानकंवर पत्नी कल्याणसिंह खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड हैं। जिससे साबित होता हैं कि उक्त भूमि पैतृक भूमि नहीं है न ही वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। जिससे तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण 3 से 10 के हक में सिद्ध होती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार विवादित आराजीयत वादीगण की पैतृक भूमि होना साबित नहीं होता हैं तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध व तनकी संख्या 2 प्रतिवादी 3 से 10 के हक में सिद्ध होने से वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा एव स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण साबित करने में असफल रहने से वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो। यह आदेश आज दिनांक 05.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई (आ 20 रूल 6–7 दीवानी)
अदालत – उपखण्ड अधिकारी परबतसर , जिला नागौर, राज.
अज अदालत :– मुकेश कुमार मूंड , आर.ए.एस.

वादीगण :–
1 कमलाकवर पुत्री कल्याणसिह
2 विमलाकवर पुत्री कल्याणसिह
3 संतोषकवर पुत्री कल्याणसिह
जाति राजपूत सा. थावला व रामपुरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. प्रसन्नकंवर पुत्री कल्याणसिंह
2. मालसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. रामसिंह पुत्र कल्याणसिंह
4. गीताकंवर पत्नी कानसिंह
5. रघुवीरसिंह पुत्र कानसिंह
6. दिलीपसिंह पुत्र कानसिंह
7. रिसालसिंह पुत्र कानसिह
8. किरणकंवर पुत्री कानसिंह
9. प्रेमकंवर पुत्री कानसिह
10. इन्द्राकंवर पुत्री कानसिंह
प्रतिवादी 9 व 10 ना.बा. जरिये संरक्षक माता प्रतिवादी संख्या 4 गीताकंवर जाति राजपूत निवासी रघुनाथपुरा
11. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक परबतसर
12. तहसीलदार, परबतसर,
13. नायब तहसीलदार, पीलवा

मुकदमा नम्बर :– 21/2010 निर्णय दिनांक :– 05.02.2020

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री तिलोकनाथ अधिवक्ता वादीगण व श्री ऋषि बोहरा अधिवक्ता प्रतिवादी 3 से 7 को डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खातेदारी घोषणा, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण साबित करने में असफल रहने से वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.02.2020 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत: [signature]

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner